

take up Clause 1. There is an amendment by Shri Swaran Singh. But I have received a notice that Shri Krishna will move the amendment and I have agreed to that. You can now move the amendments.

Clause 1—Short Title.

Amendment made :

Page 1, line 4,—

for "1968" substitute "1970" (2)

(Shri M. R. Krishna)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made :

Page 1, line 1,—

for "Nineteenth" substitute—

"Twenty-first" (1)

(Shri M. R. Krishna)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

SHRI M. R. KRISHNA : I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now in response to a very big and strong demand made by many Members of the House that the Reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner and the Report of the Committee on Untouchability should be taken up, we shall take them up, say, at ten minutes to five or fifteen minutes to five. The discussion will continue in the next session.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipur) : I was going to suggest, provided, of course Shri Madhu Limaye and Shri Misra agree, that you postpone consideration of item Nos. 36 and 37 and let us proceed with the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right. Let us now pass over to item Nos. 38 and 39 and take them up together. Let the hon. Minister move the motion.

16.33 hrs.

MOTIONS RE : REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND REPORT OF COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : I move :

"That this House takes note of the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years, 1966-67, 1967-68, and 1968-69, laid on the Table of the House on the 24th April, 1968, 15th May, 1969, and 30th March, 1970 respectively."

I heard your ruling in this matter. The Government also is extremely anxious to see that there should be a discussion about these reports. Since you have promised a full discussion by adjourning the debate at 5 p. m. to the next session, I shall speak, after hearing what the Members have to say.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : I beg to move :

"That the Report of the Committee

[Shri Suraj Bhan]

on Untouchability, Economic and Educational Development of the Scheduled Castes (Part I-V) along with the connected documents, laid on the Table of the House on the 10th April, 1969, be taken into consideration”.

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वह इस बात के लिए ऐंशस हैं कि डिस्कशन हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1967 में मंत्री महोदय द्वारा वादा किये जाने के बावजूद कि कमिश्नर की रिपोर्ट पर हर साल डिस्कशन हुआ करेगा, यह रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इसकी तीन बज्रहात हो सकती हैं। एक तो यह कि गवर्नमेंट को हरिजनों और अर्धवासियों के साथ सिम्पैथी नहीं है, हालांकि मैं महसूस करता हूँ कि शायद ऐसा न हो क्योंकि रोज-रोज वह कहते हैं कि उनको सिम्पैथी है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि हरिजनों के किसी काम को गवर्नमेंट ग्रहणित नहीं देती और तीसरी वजह यह हो सकती है कि 1967 में जब यह रिपोर्ट डिस्कस हुई तो गवर्नमेंट की स्नेप बोट में हार हो गई थी। गवर्नमेंट की अपनी तरफ बैठे हुए हरिजन और आदिवासी भाइयों ने भी उनके खिलाफ बोट डाले थे। मैं समझता हूँ कि मेन कारण यह था कि गवर्नमेंट को डर था, और डर है, कि हो सकता है कि जब इन रिपोर्टों पर डिस्कशन हो तो उनकी तरफ बैठे हुए साथी, जिनकी जमीर भरी नहीं है और जो कहते हैं कि हरिजनों के मामले में गवर्नमेंट नाकाम रही है, गवर्नमेंट का साथ न दें और गवर्नमेंट को हार का सामना करना पड़े। मैं समझता हूँ कि इन तीन बज्रहात में से कोई भी वजह हो सकती है।

पेरुमल कमेटी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह कमेटी 1965 में बनाई गई थी। उसने चार साल बाद अपनी रिपोर्ट दी। चार साल के बाद उस रिपोर्ट देने के बाद उसमें तीन कमिश्नरों की रिपोर्टों को जोड़ दिया गया है, फिर भी इन चार रिपोर्टों पर डिस्कशन के

लिए सिर्फ पांच घंटे अलाट किए गये हैं। पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट चार साल की है और उसमें तीन सालों की कमिश्नर की रिपोर्टों को जोड़ दिया गया है, इस तरह सात साल की रिपोर्टों के लिए पांच घंटे दिये गये हैं, और आज आधा घंटा भी इसके लिए बाकी नहीं रहता है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि कम से कम अगले सेशन के लिए इसको इतना कम समय नहीं दिया जाएगा।

पेरुमल कमेटी की बाबत मैं बतलाऊंगा कि उसके प्रति गवर्नमेंट का ऐटिट्यूड क्या था। इस रिपोर्ट में इस तरह से कहा गया है कि :

“In the end, however, we very much regret to place on record that even though the committee was set up by the Department of Social Welfare, there was practically very little co-operation from that Department as already pointed out earlier. The indifferent and non-co-operative attitude of the Department gradually developed into a state of active hostility even.”.

जिस वक्त कमेटी का काम कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद 25 जनवरी को उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। इत्तफाक से कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट कम्पाइल नहीं कर पाई। कमेटी ने रिक्वेस्ट किया फामंली कि उसको पांच दिन और दे दिये जायें। उन्होंने कहा कि हम टी० ए० और डी० ए० पांच दिन का नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने दफ्तर पर ताला लगा दिया। उसमें कांग्रेस मेम्बर मैजो-रिटि में थे, अपोजीशन के एक दो मेम्बर थे। फिर भी एक प्राइवेट मेम्बर श्री एम० एम० सिद्दय्या के घर पर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी। प्राइवेट स्टेनोग्राफर एग्नेज करना पड़ा। यह गवर्नमेंट की अप्वाइंट की हुई कमेटी थी, लेकिन उसके लिए स्टेनोग्राफर नहीं दिया गया, साइक्लोस्टाइल करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी। इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट में हेरफेर की गई। कमेटी के चेयरमैन जो बुद्ध

कांग्रेसी थे, एलाया पेरूमल, उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट को बदला गया है : मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आयेगी जब किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी हो और उसको इस तरह से बदला गया हो। मैं कमेटी की रिपोर्ट के फर्स्ट चैप्टर के पहले सके में से एक पैरा पढ़ना चाहता हूँ जिसमें एक लफज को चेन्ज किया गया है। कमेटी की असली रिपोर्ट में यह था कि :

"To abolish the caste system and untouchability merely on paper and by wishful thinking and empty advice or slogans is sheer nonsense or hypocrisy."

लेकिन हिपोक्रेसी लफज को बदल कर वाई-पासिंग किया गया है। इस के अलावा कमेटी के जेयरमैन ने एक ग्राउ-दस पेज का लैटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, और उसमें जिक्र किया गया है कि कमेटी ने एक पैरा इस रिपोर्ट से काट दिया था, और उस पर कमेटी के मेम्बरों के दस्तखत थे। परन्तु वह पैरा रिपोर्ट में छपा गया है। लेकिन कमेटी के जेयरमैन ने कहा कि असली रिपोर्ट और प्रिंटेड रिपोर्ट में इतना फर्क है जिसका आप धन्दाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जेयरमैन के कहने के बाद भी इस मामले में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया।

इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट में और भी बांधलिया हुई है। कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में अनटचेबिलिटी है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में नोट आफ डिसेंट जोड़ा गया। केरल के जो श्री आर अच्युतन हैं उनको तीन लाख रुपयों का वादा देकर जान-बूझकर नोट आफ डिसेंट लगवाया गया। श्री आर अच्युतन के नाम से एक स्कूल है। वे उसके लिए बन्दा लेना चाहते थे। उनकी ऐप्लिकेशन रिकार्ड पर है। दिसम्बर में उनकी ऐप्लिकेशन रिजेक्ट हुई, उसके बाद उन पर प्रेशर डाला गया कि नोट आफ डिसेंट दें, और कहा गया कि तीन लाख तो नहीं लेकिन उनको डेढ़ दो लाख जरूर दिया जा सकता है। 24 जनवरी को वह धादमी डायरेक्टर जनरल बैक्वडं क्लासिस के दफ्तर में

घाता है। मि० अच्युतन को धंधेजी नहीं घाती है। ही डज नाट नो दी मिनिंग आफ इवन डाइसेंटिंग नोट। लेकिन उसके विहाफ पर डायरेक्टर जनरल डाइसेंटिंग नोट डिक्टेट कराता है अपने स्टैनो को। नोटबुक में वह सब कुछ है, वह डिक्टेशन मौजूद थी। उसी मशीन पर जिस पर डाइसेंटिंग नोट टाइप किया गया था, Dissenting note और एप्लीकेशन जिसमें लिखा है कि उसको ग्रान्ट दी जाये। दोनों 24 जनवरी के हैं। यह सब उसी मशीन पर टाइप होता है। एक ही मशीन पर दोनों टाइप होती हैं। मैंने डायरेक्टर जनरल बैक्वडं क्लासिस को लैटर लिखे। वह धबरा गए। उन्होंने जवाब देना बन्द कर दिया। मैंने पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाया। मन्त्री महोदय को लैटर लिखा और उनसे कहा कि ग्राम कमेटी के सामने सारा रिकार्ड पेश करें। पार्लियामेंटरी कमेटी जो SCIST के लिए है इसके सामने ग्राम सारे रिकार्ड को पेश करे। लेकिन रिकार्ड नहीं भेजा गया। तब मैंने कमेटी की तरफ से कोशिश की। Director General महोदय ने वादा किया था कि रिकार्ड मौजूद है और उसको भेज दिया जायगा। एक साल के बाद रिकार्ड भेजा गया और वह भी मेरे मन्त्री महोदय के नाम Letter लिखने के बाद जब रिकार्ड भेज दिया गया तो उससे पता चला कि शाटहूंड नोटबुक जला दी गई है तथा रजिस्टर आफ रिसीट एंड डिसपेच मिसप्लेस हो गए हैं। वे उपलब्ध नहीं किए गए। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जनरल बैक्वडं क्लासिस ने उनको जानबूझकर डिसट्राय करा दिया है। इन हालात में कमेटी की रिपोर्ट के साथ क्या बंगलिंग हुआ होगा, इसका आसानी से धन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी मुकरर की जाए ताकि इस रिपोर्ट के साथ बांधली हुई है, जो हेराफेरी हुई है, उसका जायजा लिया जा सके। रिकार्ड डिसट्राय किया गया है। अच्युतन की एप्लीकेशन का रिकार्ड 24 जनवरी का नहीं दिया गया है और डाइसेंटिंग नोट उनसे लिया गया है।

[श्री सूरज भान]

कमिश्नर की तीन रिपोर्टों पर बहस हो रही है। दस मिनट का आपने समय दिया है। इतने कम समय में इन रिपोर्टों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। लेकिन एक दो बातें में जरूर कहना चाहता हूँ। हमारे जो मौजूदा शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर हैं उनके मुताल्लिक में एक बात कहना चाहता हूँ। जब इस तरह का कोई व्यक्ति इस पद पर भ्रासीन हो तो उसकी जो रिपोर्ट है, वह कैसे बेहतर हो सकती है। 1967 में नेशनल इटेड्र इंटिग्रेशन काउंसिल की श्रीनगर में मीटिंग हुई थी। वहाँ जो प्रेजेंट कमिश्नर हैं उनको एच नोट तैयार करने के लिए कहा गया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का इंटिग्रेशन मुल्क के साथ कैसे हो। जो सुभाव वह अपने नोट में देते हैं उनको आप देखें। पहला तो यह है SSIST बच्चों को दसवीं क्लास से ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सुभाव को वह दे रहे हैं जो इस काम की भलाई के लिए रखे गए हैं कि बतायें कि इन लोगों की बेहतरी किस तरह से हो सकती है। दूसरा सुभाव वह यह देते हैं कि इनके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। तीसरा सुभाव यह देते हैं यू० पी० एस० सी०, पी० एस० सी० और दूसरे सिलेक्शन बोर्डों में इनके रिप्रिजेंटेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम मांग करते हैं कि हमारा कोटा प्रशासन में पूरा होना चाहिए लेकिन वह यह सुभाव देते हैं। वह कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इनके ग्रादमी लेने की। जो कमिश्नर इन विचारों के हों उनसे भलाई की, बेहतरी की क्या प्राशा की जा सकती है। ये विचार उनके प्राज नहीं बने, बहुत पहले के हैं। 1964 में उन्होंने एक लैक्चर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि इनके लिए रिजर्वेशन के मैं खिलाफ हूँ। श्री बसुमतारी जो अब बेयरमैन हैं पार्लियामेंटरी कमेटी के जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बनी हुई हैं, उन्होंने 1964 में उसके इस भाषण के खिलाफ Parliament में धावाज उठाई थी एक चिट्ठी

1967 में प्रधान मन्त्री को लिखी थी। प्रपोजीशन के मेरे भलावा एक या दो ने ही उस पर दस्तखत किये थे। लेकिन कांग्रेस के मेम्बरो के उस पर दस्तखत थे। श्री सोनावने, श्री बूटा सिंह, श्री शंकरानन्द जो कांग्रेस के मशहूर नेता हैं इत्यादि सभी ने उस चिट्ठी पर दस्तखत करके मांग की थी कि हम इस तरह के ग्रादमी को इस पद पर नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर ने कहा कि हमने ज्यूडिशल जायजा लिया है और उस नोट में शैड्यूल्ड कास्ट्स के खिलाफ कोई बात नहीं है। आप इस पर जरा गौर करें।

इस ग्रादमी ने कमिश्नर की पोस्ट पर घाने के बाद कमिश्नर की पोस्ट को भी किस हद तक डिप्रेट किया है, इसको भी आप देखें। गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेवार है। कुछ साल पहले कमिश्नर के आफिस हर स्टेट में होते थे। उनका काम यह था कि वे कमिश्नर को इस बारे में इनफॉर्मेशन भेजें कि देश में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की क्या हालत है, ताकि कमिश्नर उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट बना सके। डायरेक्टर जेनेरल ग्राफ बैंकवर्ड क्लासिज ने गवर्नमेंट के सामने यह तजवीज रखी कि स्टेट्स में कमिश्नर के जो दफ्तर हैं, उनको तोड़ दिया जाये और उनकी जगह डायरेक्टर जेनेरल ग्राफ बैंकवर्ड क्लासिज के दफ्तर खोले जायें। इस बारे में ग्राग्युमेंट यह भी गई कि मौजूदा कमिश्नर से सलाह-मशवरा कर लिया गया है। पिछले तीन चार कमिश्नरों ने इस बात को प्रपोज किया था और कहा था कि स्टेट्स में उनके अपने इंडिपेंडेंट दफ्तर होने चाहिए, ताकि कमिश्नर उनसे ठीक ढंग से इनफॉर्मेशन हासिल कर सके और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। लेकिन इसके बावजूद स्टेट्स में कमिश्नर के दफ्तरों को तोड़ दिया गया और अब स्टेट्स में कमिश्नर का कोई दफ्तर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ

कि इस सूरत में कमिश्नर किस इनफॉर्मेशन के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बावजूद कमिश्नर साहब कहते हैं कि वह मौजूदा हालात से सैटिसफाइड हैं। चूंकि पालियामेंट कमेटी इस बात को देख रही है, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। जब एक्शन टेकन रिपोर्ट आयेगी, तब मैं हाउस में इस बारे में जिक्र करूंगा।

सर्विसेज में बहुत ज्यादा घांघलिया है। मैं सिर्फ एक केस का जिक्र करना चाहता हूँ। सर्विसेज का प्रागाज होम मिनिस्ट्री से होता है, इसलिए मैं होम मिनिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ। 1963 में होम मिनिस्ट्री ने सैक्शन आफिसर्स का एक इम्तहान किया। हालांकी शैड्यूल्ड कास्ट्स कंडीटेड के नम्बर बहुत अच्छे थे, लेकिन 170 पोस्ट्स में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इस बारे में 1963 के बाद कर दस बारह एम० पीज० श्री चव्हाण और श्री शुक्ल को कई लैटर लिखते रहे, लेकिन वे दोनों उन लैटर्स को दबा कर बैठे रहे। पिछले साल मैंने श्री चव्हाण को एक लैटर लिख कर पूछा कि क्या यह हकीकत है कि दस-बारह एम० पीज० ने, जो इतिफाक से सब शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, आप को लैटर लिखे हैं और आपने उनका जवाब नहीं दिया है; क्या आप की और गवर्नमेंट की नजर में शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों और उनके एम० पीज० की यही कीमत है। उस के बाद उनका जवाब आया, लेकिन उस जवाब को सुनकर सब को हैरानी होगी। उन्होंने कहा कि 170 पोस्ट्स में रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे पोस्ट्स आम तरीके से नहीं भरी गई थीं। बल्कि वे आनरेबल एम० पीज० के साथ Consultations करके भरी गई थीं। मैं जानना चाहता हूँ कि आनरेबल एम० पीज० कीन से हैं, जिन्होंने शैड्यूल्ड कास्ट्स के ड्यूक पं. छापा मारा।

उस के बाद मैंने छः लैटर श्री चव्हाण और श्री शुक्ल को लिखे हैं। श्री शुक्ल कहते हैं कि मैं इस के बारे में उन से मिल्, लेकिन जब उनसे

टाइम मांगा जाता है, तो वह कहते हैं कि वि मँटर इज ग्रँडर कनसिडरेशन। जब होम मिनिस्ट्री में यह हालत है, तो आप भ्रन्दाजा लगा सकते हैं कि दूसरे दफतरों में क्या हालत होगी।

अब मैं एक केस एयर इंडिया का बताना चाहता हूँ। वह दो-तीन साल पुरानी बात है। एक शैड्यूल्ड कास्ट्स लड़की ने एयर हास्टेस की पोस्ट के लिए एप्लाई किया। उस पोस्ट के लिए दो कनसिडरेशनज होती हैं : एक तो लड़की गुड लुकिंग हो और दूसरे, वह अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकती हो। वे दोनों क्वालिफिकेशनज उस लड़की में थीं। लोगों ने उसको कहा कि वह अपनी एप्लिकेशन में शैड्यूल्ड कास्ट की बात मैनशन न करे। लेकिन उस ने कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स कंडीटेड को रियायत मिलती है और उस ने अपनी एप्लिकेशन में लिख दिया कि मैं शैड्यूल्ड कास्ट हूँ। नतीजा यह हुआ कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया।

अगले साल उसने फिर एप्लाई किया, लेकिन इस बार उसने शैड्यूल्ड कास्ट की बात मैनशन नहीं की। उसको सिलैक्ट कर लिया गया और वह अब भी सर्विस में है। जब उसने शैड्यूल्ड कास्ट की बात मैनशन नहीं की, तो उसको सिलैक्ट कर लिया गया, लेकिन जब उसने कहा कि मैं शैड्यूल्ड कास्ट कंडीटेड हूँ, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हालांकि उसको रियायत मिलनी चाहिय थी।

इसके अलावा कनफॉर्मेशन में और डिपार्टमेंटल प्रोमोशन (एग्जामिनेशन) में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है।

दोपहर के वक्त मैंने उस लड़के का केस बताया था, जिसके हाथ बांध कर, उस पर मिट्टी का तेल डालकर प्राग लगा दी गई थी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : One minute. You may continue your speech in the next session. Now, Mr. Sethi.